न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 01/2015

अपीलान्ट :-

1. अमरी पुत्री पांचाराम जाति- रेगर निवासी- कोटड़िया, तहसील-जैतारण जिला-पाली। (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुडकी तहसील-जैतारण जिला-पाली। (राजस्थान)

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

तारीख रजू: 25/02/2015

उपस्थितः- 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्तागण, अपीलान्ट।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः-08/07/2015

वकील मय अपीलान्ट ने एक म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा कोटडिया पटवार हल्का कुडकी में अपीलांट के पिता पॉंचाराम पुत्र मल्ला के नाम से खसरा नम्बर 4/4 , खसरा नम्बर 2/28 रकबा 15 बीघा कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त आराजी अपीलांट के पिता की पैतृक पुश्तैनी आराजी है जिसमें अपीलांट ने अपने समझ समझाईस से ही अपने पिता के साथ काश्त किया था। तथा अपने पिता की पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने के कारण उक्त सम्पति में अपीलांट का 1/4 हिस्सा आता है। जो अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांट को काश्त के लिए सुपुर्द कर दिया था। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि अपीलांट के पिता पॉंचाराम मे देहान्त के बाद जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के उनके वारीसान का नाम फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज होना था जो दर्ज नही होकर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज व बिना विधिक वारीसानों की जॉंच किये मात्र कताकथित आधारो पर सरपंच एवं पटवारी से मिलीभगत कर पारित करवाया गया जो गलत व विधि विरूद्व होने से खारिज कर दुरूस्त योग्य है। अपीलांट के पिता पॉंचाराम पुत्र मूलाराम की मृत्यू होने के बाद निम्न उत्तराधिकारी एवं विधिक वारीसान हैं जिनकी वंशावली पॉंचाराम पुत्र मूला फौत के अमरी (पुत्री), जयराम (पुत्र), श्रवण (पुत्र), जीवन (पुत्र) वंशावली अनुसार उपरोक्त पॉंचाराम के विधिक वारीसान है। जो माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। पॉंचाराम के फौत होने के बाद अपील में वर्णित पैतृक पुश्तैनी आराजी का म्यूटेशन जीवन,श्रवण,जयराम तथा अमरी के नाम भरा जाना चाहिए था। लेकिन जीवन, जयराम , श्रवण के नाम म्यूटेशन संख्या 230 , 152 दिनांक 12.12.1974 को तत्कालिन पटवारी व सरपंच से मिलीभगत अपने नाम से ही स्वीकृत करवा लिया जो गलत व गैर कानूनी है। क्योंकि पॉंचाराम के फौत होने पर उनके विधिक वारीयानों के रूप में उपरोक्त वंशावली अनुसार सभी वारीसानों का नाम का म्यूटेशन भरा जाना जरूरी व अवश्यक था। जबकि जीवन, जयराम व श्रवण ने अन्य वारीयानो की जमीन को हडपने की नियत से जरिये म्यूटेशन सख्यां 230, 152 दिनांक 12.12.1974 को अपने नाम करवा ली तथा पटवारी हल्का द्वारा बिना पॉंचाराम के विधिक वारीसानो की जॉंच किये बगैर बाल बाले ही मात्र जीवन , श्रवण व जयराम के नाम का उनको अनैतिक फायदा पहुॅंचाने की नियत से विधि विरूद्व रूप से मिलीभगत कर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उक्त म्यूटेशन सख्या 230, 152 दिनांक 12.12.1974 को उनके नाम से स्वीकृत किया है। जो गलत व गैर-कानूनी है। जिसे अपास्त किया जावे। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.12.2014 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर उनको पता चला की म्यूटेशन संख्या 230 ,152 में उनके पिता के फौतेदगी म्यूटेशन में उनके वारीसानों में उनके स्वयं का नाम दर्ज नही किया गया है। जो गैर-कानूनी एवं अवैद्यानिक है। तथा दिनांक 05.01.2015 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने से अपील अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष बहक अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के पेश है। इस प्रकार वकील प्रार्थीया ने अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की।

इस पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र कुइकी पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्मन पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट हैं कि परिवार सहित अजमेर गये हुये हैं। टेलीफोन से वार्ता की तो कहा कि मेरे घर में सम्मन की एक प्रति डाल दों। टेलीफोन की वार्ता के अनुसार तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजुद तामिल के अनु. रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। बहस पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के स्व. पिता पांचाराम की मृत्यु के बाद जायंदा पुत्री को छोड़कर पुत्रो के नाम नामा. भरा गया हे जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य हैं।

-::आदेश::-

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12/12/1974 को निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को प्रति प्रेषित कर लिखा जाता हैं कि जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर निर्णय पारीत करें। तहसीलदार को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुइकी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner